राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–362/2015

अमर लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की पटवारी के पद पर नियुक्ति हुई थी, जो एसटी केटेगरी का है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की कोटा संभाग में पटवारी की अंतिम पारस्परिक वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2007 की स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 02.06.2007 को जारी की गयी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 143 पर अंकित था। इसी सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ बाबू लाल पुत्र श्री भैरूलाल का नाम क्रम संख्या 146 पर अंकित था। पटवारी के पद से भू–अभिलेख निरीक्षक के पद हेतु वर्ष 2007–08 की डीपीसी में बाबू लाल जो कि एसटी केटेगरी से था, उनकों पदोन्नति दी गयी और अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति पर वर्ष 2008–09 की डीपीसी में भी विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 24.07.2002 से 16सीसीए की विभागीय जांच विचाराधीन मानते हुए अपीलार्थी के सम्बन्ध में डीपीसी पर विचार नहीं किया गया और डीपीसी में अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति बाबू लाल को वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी और बाद में वर्ष 2008–09 की रिव्यू डीपीसी में पदोन्नति दी गयी, जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति पर वर्ष 2008–09 में भी विचार नहीं किया गया। उनका आगे कथन है कि आदेश दिनांक 12.12.2012 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्ध होना नहीं मानते हुए 16 सीसीए की कार्यवाही समाप्त की गयी। आदेश दिनांक 27.08.2013 के द्वारा सील्ड लिफाफों के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी, परन्तु अपीलार्थी को उस रिक्त वर्ष 2008–09 में पदोन्नति नहीं दी गयी, जिस वर्ष में अपीलार्थी से कनिष्ठ बाबूलाल को पदोन्नति दी गयी थी।

अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गयी। उक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गई है और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी उसी रिक्त वर्ष से पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, जिस वर्ष से अपीलार्थी से कनिष्ठ बाबूलाल को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया था।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक रूप में अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उनकी पदोन्नति को डीपीसी में विचार में नहीं रखा गया है। बाद में विभागीय कार्यवाही समाप्त होने और अपीलार्थी को वर्ष 2012 में दोषमुक्त किये जाने के पश्चात वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एसटी केटेगरी का व्यक्ति है तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ बाबू लाल भी एसटी केटेगरी से सम्बन्धित है। बाबू लाल को रिव्यू डीपीसी में वर्ष 2008–09 में पदोन्नति का लाभ दिया गया है, जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी सेवा में बाबू लाल से वरिष्ठ था और जब अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी को दोषमुक्त सिद्ध किया जा चुका है, तो अपीलार्थी उससे कनिष्ठ बाबू लाल के समान ही वर्ष 2008–09 की डीपीसी में विचार किये जाने का अधिकारी होता है।

4. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के सन्दर्भ में वर्ष 2008–09 की पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाए तथा यदि अपीलार्थी पदोन्नति प्राप्त करने के लिये योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)